न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 35 / 2024 (Bank Case)
GCMS No. 2024/ 45

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, शाखा कार्यालय– 3rd फ्लोर, साई कृपा बिल्डिंग, विधुत नगर–सी, गांधी पथ, एयरटेल ऑफिस के बगल में, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्रीमान निमित चतुर्वेदी।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री शम्भू दयाल मीना पुत्र रामचन्द्र मीना **(ऋणी)**
   पता– मीनो का मोहल्ला, ग्राम हिंगोनिया, पंचायत समिति– सांगोद, जिला कोटा (राज.)–355602
2. श्रीमती गायत्री मीना पत्नी श्री शम्भू दयाल मीना **(सहऋणी)**
   पताः– मीनो का मोहल्ला, ग्राम हिंगोनिया, पंचायत समिति– सांगोद, जिला कोटा (राज.)–355602
3. श्रीमती रामकन्या बाई पत्नी रामचन्द्र मीना **(सहऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः–मीनो का मोहल्ला, ग्राम हिंगोनिया, पंचायत समिति– सांगोद, जिला कोटा (राज.)–355602

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन **रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14-08.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, शाखा कार्यालय– 3rd फ्लोर, साई कृपा बिल्डिंग, विधुत नगर–सी, गांधी पथ, एयरटेल ऑफिस के बगल में, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.1.2021 को ऋण खाता संख्या 21660000069592 में राशि 2,94,000 / – रूपये (अक्षरे दो लाख चौरानवें हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 2487, मिसल नं. 38, दिनांक 28.06.18, ग्राम हिंगोनिया, ग्राम पंचायत– हिगोनिया, पंचायत समिति– सांगोद, जिला– कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 1400 वर्गफुट है, जिसका पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत हिंगोनिया, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा रामकन्या पत्नी रामचन्द्र मीना के नाम जारी शुदा है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 08.10.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 2,94,790 / – (अक्षरे रूपये दो लाख, चौरानवें हजार, सात सौ नब्बे मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.12.2022 तक शेष देय है एवं

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 03.01.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया किन्तु अप्रार्थी नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपस्थित रहने से वकील प्रार्थी को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 03.01.2023 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेष फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 03.01.2023 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 2487, मिसल नं. 38, दिनांक 28.06.18, ग्राम हिंगोनिया, ग्राम पंचायत– हिगोनिया, पंचायत समिति– सांगोद, जिला– कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 1400 वर्गफुट है, जिसका पट्टा कार्यालय ग्राम पंचायत हिंगोनिया, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा रामकन्या पत्नी रामचन्द्र मीना के नाम जारी शुदा** है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो तथा आदेश की प्रति अप्रार्थी को भी जरिये डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.06.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)